प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, झालावाड़ थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :–2024
   प्र0सू0रि0 सं ......113/2024.................. दिनांक......10.06.2024..........................

2. (1) अधिनियम... 13(1)(ई) सहपठित 13(2) पीसी एक्ट 1988 एवं धारा 12,13(1)(बी) सहपठित 13(2)पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018)
   (2) अधिनियम...
   (3) अधिनियम...धाराऐं...
   (4) अन्य अधिनियम एवं .... धाराऐं ....

3. (क) घटना का दिन :– चैक अवधि 07.06.2000 से दिनांक 30.09.2022 तक
   (ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 01.06.2018 समय :– ....
   (ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ......151............... समय.........6.15 P.M...

4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) – सूत्र–सूचना

5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
   (क) थाने से दिशा एवं दूरी – चौकी ए.सी.बी. झालावाड़ से करीब 40 कि0मी0 बजानिब दक्षिण–पश्चिम
   बीट संख्या...जुरामदेही सं..
   (ख) पताः– सुनेल जिला झालावाड़
   (ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम...

6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
   (क) नाम :– जगराम मीना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र0 नि0 ब्यूरो झालावाड़
   (ख) पिता/पति का नाम :– श्री कलजी राम
   (ग) जन्म तिथि/उम्र :– 57 साल
   (घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (ड़) पासपोर्ट संख्या.........................जारी करने की तिथि.............................जारी करने का स्थान
   (च) व्यवसाय – नौकरी
   (छ) पता :– अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़।

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–
   श्री सुरेश कुमार जैन पुत्र श्री रूपचन्द जैन निवासी सुनेल जिला झालावाड़ हाल ग्राम सचिव पंचायत समिति पिड़ावा मुख्यालय सुनेल जिला झालावाड (राज.)।

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं

9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः – ....

11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)...

12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

महोदय,

विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि श्री सुरेश कुमार जैन ग्राम सचिव, पंचायत समिति पिड़ावा मुख्यालय सुनेल जिला झालावाड़ का रहने वाला है। संदिग्ध अधिकारी का विवाह श्रीमती मीनाक्षी जैन के साथ हुआ है। संदिग्ध अधिकारी के दो पुत्र है। बडा पुत्र श्री आयुष जैन जिसने बीएससी नर्सिंग कर रखी है तथा दूसरा पुत्र श्री जयेश जैन है जो बी कॉम फाईनल ईयर में है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने पुत्रों को प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों से शिक्षा दिलवाया जाना ज्ञात हुआ है। आरोपी श्री सुरेश कुमार जैन की पत्नि श्रीमती मीनाक्षी जैन तथा माँ श्रीमती मुन्नी बाई भी गृहणी है, जो संदिग्ध अधिकारी के साथ ही रहती है तथा इनका आय अर्जन का कोई स्त्रोत नहीं है। एस.ओ के दोनो पुत्रों का कोई व्यवसाय/जोब नहीं है तथा संदिग्ध अधिकारी की आम शोहरत भ्रष्ट अधिकारी के रूप में होना ज्ञात हुआ है।

संदिग्ध अधिकारी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 7.6.2000 को राज्य सेवा में ग्राम सेवक के पद हुई थी तथा वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी (सचिव) पंचायत समिति पिडावा मुख्यालय सुनेल जिला झालावाड में कार्यरत है। संदिग्ध अधिकारी ने चैक पीरियड दिनांक 7.6.2000 से 30.09.2022 की अवधि में विभिन्न क्षेत्रों की महत्वपूर्ण लोकेशन्स में परिसम्पत्तियों के रूप में निवेश किया जाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।

संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपनी अज्ञात स्त्रोतों से अर्जित आय को ज्ञात स्त्रोतों में एकत्रित करना ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी एवं उसकी पत्नि द्वारा अर्जित वैध आय, खर्च एवं अर्जित परिसम्पत्तियों का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेश कुमार जैन, द्वारा राजकीय सेवा में आने से पूर्व अर्जित परिसम्पत्तियों का शून्य होना ज्ञात हुआ है, जो परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

प्रपत्र "अ"

संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेश कुमार जैन पुत्र श्री रूपचन्द जैन, ग्राम विकास अधिकारी (सचिव) पंचायत समिति पिडावा मुख्यालय सुनेल जिला झालावाड की चैक अवधि दिनांक 07.06.2000 से दिनांक 30.09.2022 से पूर्व अर्जित सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	परिसंपत्ति का विवरण	खरीदने /निवेश की दिनांक/वर्ष	किसके नाम खरीदी गई–आरोपिया से संबंध	परिसंपत्ति का मूल्य	परिसंपत्ति की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	शून्य				

प्रपत्र "ब"

संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेश कुमार जैन पुत्र श्री रूपचन्द जैन, ग्राम विकास अधिकारी (सचिव) पंचायत समिति पिडावा मुख्यालय सुनेल जिला झालावाड की चैक अवधि दिनांक 07.06.2000 से दिनांक 30.09.2022 के अन्त में मौजूद परिसम्पत्तियों का विवरण :–

क्र सं.	परिसंपत्ति का विवरण	खरीदने /निवेश की दिनांक/वर्ष	किसके नाम खरीदी गई–आरोपिया से संबंध	परिसंपत्ति की खरीद का मूल्य
1	2	3	4	5
1.	कोटड़ा के माल (सुनेल) में स्थित क्रय की गयी कृषि भूमि :– (अ) खसरा नम्बर 3383/1838 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा (ब) खसरा नम्बर 1839 रकबा 1 बीघा (स) खसरा नम्बर 3413/1839 रकबा 0.2529 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1839 रकबा 0.6324 हैक्टेयर	10.12.2012 24.02.2016 09.10.2020	आरोपी की पत्नि श्रीमती मीनाक्षी जैन के नाम स्टाम्प ड्यूटी आरोपी की पत्नि श्रीमती मीनाक्षी जैन के नाम स्टाम्प ड्यूटी आरोपी की पत्नि श्रीमती मीनाक्षी जैन के नाम स्टाम्प ड्यूटी	3,00,000 23,000 1,50,000 6,000 6,50,000 25,000
2	यूनिवर्सल बैंक सुनेल के बैंक खाते में जमा राशि	बैंक खाता संख्या 41220100009433	श्री आयुष जैन पुत्र श्री सुरेश कुमार जैन	16,906
3	यूनिवर्सल बैंक सुनेल के बैंक खाते में जमा राशि	बैंक खाता संख्या 41220100009432	श्रीमती मीनाक्षी जैन पत्नि श्री सुरेश कुमार जैन	1,040
4	स्टेंट बैंक ऑफ इण्डिया, सुनेल के बैंक खाते में जमा राशि	बैंक खाता संख्या 51070897983	श्रीमती मीनाक्षी जैन पत्नि श्री सुरेश कुमार जैन	38
5	स्टेंट बैंक ऑफ इण्डिया, सुनेल के बैंक खाते में जमा राशि	बैंक खाता संख्या 61248617675	श्रीमती मुन्नी बाई (माताजी)	5,95,943
6	स्टेंट बैंक ऑफ इण्डिया, सुनेल के बैंक खाते में जमा राशि	बैंक खाता संख्या 51090572494	श्री सुरेश कुमार जैन	8,92,537
7	JHALAWAR DIST CENT CO-OP BANK SUNEL	बैंक खाता संख्या 24014105740110539	श्रीमती मीनाक्षी जैन पत्नि श्री सुरेश कुमार जैन	1,849
8	यूनिवर्सल बैंक सुनेल के बैंक खाते में जमा राशि	बैंक खाता संख्या 41220600000302	श्री सुरेश कुमार जैन	1,13,119

9	एक कार मारूती वेगन आर रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे–17–सीए–7546	वर्ष 2017	स्वय के नाम	4,35,000
10	एक मोटर साईकिल बजाज–सीटी 100 रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे–17–एसए–5864	वर्ष 2006	स्वय के नाम	32,200
11	एक टीवीएस जुपीटर स्कुटी रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे–17–एसएन–3400	वर्ष 2015	पुत्र श्री आयुष जैन के नाम	51,000
12	एक हीरो पैशन एक्सप्रो मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे–17–एसडब्लू–4032	वर्ष 2019	पुत्र श्री आयुष जैन के नाम	60,700
13	एक बजाज पल्सर मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे–17–एसजेड–0893	वर्ष 2021	पुत्र श्री आयुष जैन के नाम	1,07,283
			कुल योग	34,61,615

प्रपत्र "स"

संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेश कुमार जैन पुत्र श्री रूपचन्द जैन, ग्राम विकास अधिकारी (सचिव) पंचायत समिति पिडावा मुख्यालय सुनेल जिला झालावाड की चैक अवधि दिनांक 07.06.2000 से दिनांक 30.09.2022 की शुद्ध आय :–

क्रसं.	आय का शीर्षक विवरण	आय प्राप्ति की दिनांक/वर्ष अवधि	किसके द्वारा आय अर्जित की गई आरोपी से उसका संबंध	शुद्ध आय (राशि)
1	2	3	4	5
1	आरोपी श्री सुरेश कुमार जैन द्वारा वेतन भत्तों से प्राप्त की गयी शुद्ध आय	**दिनांक 07.06.2000 से दिनांक 30.09.2022 तक**	आरोपी द्वारा स्वयं के वेतन से अर्जित	45,50,814
2	आरोपी की पत्नि श्रीमती मीनाक्षी जैन के नाम क्रय दिनांक 04.10.2020 कृषि भूमि 03 बीघा 10 बिस्वा आईपीआर में दर्शित **वार्षिक आय** 30,000/–रूपये के आधार पर **{30000x2}**	**वर्ष 2021 से 2022 तक**	आरोपी की पत्नि श्रीमती मीनाक्षी जैन के नाम कृषि भूमि से वार्षिक आय	60,000
3	आरोपी की पत्नि श्रीमती मीनाक्षी जैन के नाम क्रय दिनांक 26.11.2015 कृषि भूमि 01 बीघा आईपीआर में दर्शित **वार्षिक आय** 10,000/–रूपये के आधार पर। **{10000x7}**	**वर्ष 2016 से 2022 तक**	आरोपी की पत्नि श्रीमती मीनाक्षी जैन के नाम कृषि भूमि से वार्षिक आय	70,000
4	आरोपी की पत्नि श्रीमती मीनाक्षी जैन के नाम क्रय दिनांक 09.12.2012 कृषि भूमि 05 बीघा 07 बिस्वा आईपीआर में दर्शित **वार्षिक आय** 40,000/–रूपये के आधार पर। **{40000x10}**	**वर्ष 2016 से 2022 तक**	आरोपी की पत्नि श्रीमती मीनाक्षी जैन के नाम कृषि भूमि से वार्षिक आय	4,00,000
	कुल योग			50,80,814

प्रपत्र "द"

संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेश कुमार जैन पुत्र श्री रूपचन्द जैन, ग्राम विकास अधिकारी (सचिव) पंचायत समिति पिडावा मुख्यालय सुनेल जिला झालावाड की चैक अवधि दिनांक 07.06.2000 से दिनांक 30.09.2022 में किए गए खर्चों का विवरण :–

क्र सं.	खर्च का शीर्षक का विवरण	खर्च करने की दिनांक/वर्श अवधि	किसके द्वारा खर्च किया गया – आरोपी (आप स्वय) से उसका संबंध	खर्च की राशि (रूपयों में)
1	एस.ओ. द्वारा वेतन भत्तों से प्राप्त जीए–55 के अनुसार कुल राशि 65,91,901 रूपये है। ग्रोस सैलरी में से आयकर 71,443रूपये की कटौती के पश्चात् 65,20,458रूपये की राशि में से एक तिहाई–21,73,486रू. अनुमानित व्यय रसोई खर्च है।	चेक पिरीयड	स्वय द्वारा	21,73,486
2	बच्चों की शिक्षा पर खर्च (दोनों बच्चों ने प्राईवेट स्कूल, सुनेल से 12वीं तक पढ़ाई की है तथा श्री आयुष जैन ने बीएसई नर्सिंग इन्दौर कर रखी है तथा श्री जेयश जैन बीकॉम फाईल ईयर बिड़ला कॉलेज, भवानीमंडी से कर रहा है)	चेक पिरीयड	स्वय द्वारा	2,50,000
3	वाहनो के रख–रखाव व ईंधन खर्च	चेक पिरीयड	स्वय व परिजनो द्वारा	5,00,000
			कुल योग	29,23,486

इस प्रकार आरोपी श्री सुरेश कुमार जैन व उसके परिजनो द्वारा चेक पिरीयड **दिनांक 07.06.2000 से दिनांक 30.09.2022** तक प्राप्त की गई अर्जित सम्पतियां, आय एवं व्यय निम्नानुसार है :–

(क). चैक पिरियड से पूर्व खरीदी गई/अर्जित की गई परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य प्रपत्र(अ) : –**शून्य**
(ख). चैक पिरियड के अंत में मौजूद परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य प्रपत्र(ब) :– **34,61,615/– रुपये**
(ग.) चैक पिरियड के दौरान खरीदी गई परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य(ख–क):– **34,61,615/–रूपये**
(घ.) चैक पिरियड के दौरान प्राप्त शुद्ध आय की कुल राशि प्रपत्र(स) :– **50,80,814/– रूपये**
(ड.) चैक पिरियड के दौरान किये गये कुल खर्च की राशि प्रपत्र(द) :– **29,23,486/– रूपये**
(च). चैक पिरियड के दौरान अर्जित कुल परिसम्पत्तियां (ग+ड):– **63,85,101/– रूपये**
(छ). आय से अधिक सम्पत्ति की राशि (च–घ):– **13,04,287/– रूपये**
(ज). आय से अधिक सम्पत्ति का प्रतिशत (छ/घX100) = **25.67 प्रतिशत**

इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेश कुमार जैन पुत्र श्री रूपचन्द जैन ग्राम सचिव पंचायत समिति पिड़ावा मुख्यालय सुनेल द्वारा चेक पिरीयड **दिनांक 07.06.2000 से दिनांक 30.09.2022** तक प्रपत्र 'स' में वेतन भत्तों व कृषि भूमि से ज्ञात स्त्रोतो से प्राप्त एस.ओ. की आय **50,80,814/–**रूपये होकर प्रपत्र 'ब' में अर्जित सम्पति का मूल्य **34,61,615/–**रूपये एवं प्रपत्र 'द' में व्यय राशि **29,23,486/–**रूपये की पाई गई है। अतः सम्पति तथा व्यय राशि का जोड़ **63,85,101/–**रूपये को उपरोक्त आय **50,80,814/–**रूपये में से घटाने पर **13,04,287/–**रूपये की संपत्ति शुद्ध आय से अधिक पाई गई है। जो कि आय से अधिक **25.67 प्रतिशत** अधिक है।

अतः संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेश कुमार जैन के विरूद्ध ज्ञात वैध आय से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करने का कृत्य अन्तर्गत धारा 13(1)(ई), सपठित 13(2) पीसी एक्ट 1988 एवं धारा 12,13(1)(बी) सपठित धारा 13(2) पीसी एक्ट (संशोधित 2018) का अपराध घटित होना पाया जाता है। संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेश कुमार जैन पुत्र श्री रूपचन्द जैन निवासी सुनेल जिला झालावाड़ हाल ग्राम सचिव पंचायत समिति पिड़ावा मुख्यालय सुनेल जिला झालावाड (राज.) के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर उनके निम्न ठिकानों **(1) श्री सुरेश चन्द जैन के निवास, बस स्टेण्ड सुनेल के पास जिला मुख्यालय, झालावाड (2) श्री सुरेश चन्द जैन के कार्यालय स्थित कक्ष, पंचायत समिति पिडावा मुख्यालय सुनेल जिला, झालावाड की तलाशी लेना आवश्यक है।** तलाशी के दौरा कई मूल्यवान परिसम्पत्तियों के दस्तावेज, नकदी, एवं अन्य मूल्यवान परिसम्पत्तियां मिलने की सूत्र ने विश्वस्त सूचना दी है।

अतः संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेश कुमार जैन पुत्र श्री रूपचन्द जैन ग्राम सचिव पंचायत समिति पिड़ावा मुख्यालय सुनेल जिला झालावाड के विरूद्ध आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करने के तथ्य प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतएव आरोपी के उक्त कृत्य से अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(ई), सपठित 13(2) पीसी

एक्ट 1988 एवं धारा 12,13(1)(बी) सपठित धारा 13(2) पीसी एक्ट 1988 (संशोधित 2018) का घटित होना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(जगराम मीना)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
झालावाड़।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री जगराम मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) में वर्णित अपराध घटित होना पाया जाने से अभियुक्त श्री सुरेश कुमार जैन पुत्र श्री रूपचन्द जैन ग्राम सचिव पंचायत समिति पिड़ावा मुख्यालय सुनेल जिला झालावाड के विरूद्ध अपराध संख्या 113 / 2024 दिनांक 10.06.2024 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर श्रीमान महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार अनुसंधान श्री गोपाल सिंह कानावत, अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात के सुपूर्द किया गया। प्रतियां एफ.आई.आर. नियमानुसार कता कर जारी की गई।

10.6.24

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक–प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर

क्रमांकः– 576-80 दिनांक :– 10.06.2024

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. माननीय विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलात, कोटा
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राज0 जयपुर
3. श्रीमान निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
4. श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. श्री गोपाल सिंह कानावत, अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक–प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर